न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

दावा पत्र संख्या :— 35 / 2019

वली मोहम्मद पिता मुस्ताक अहमद जाति मुसलमान उम्र 78 वर्ष निवारी ठुकराई, तह. बेंगूँ जिला चितौड़गढ़ (राज.)
......................वादी

वनाम

1:— मु. रजीयॉ पुत्री भाफीमोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 50 वर्ष निवारी ठुकराई
2:— मु. जमीला पुत्री भाफी मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 40 वर्ष निवारी ठुकराई
3:— मु.रसीदा पुत्री भाफी मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 34 वर्ष निवारी ठुकराई
4:— मु. बतुलबाई पत्नि भाफी मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र व्यस्क निवासी ठुकराई
5/1 मो. सैजाद पिता अब्दुल रजाक उर्फ जुलफीकार जाति मुसलमान उम्र व्यस्क निवासी ठुकराई
5/2 मु. मेरून पिता अब्दुल रजाक उर्फ जुलफीकार जाति मुसलमान उम्र व्यस्क निवासी ठुकराई
5/3 मु. शकीला पिता अब्दुल रजाक उर्फ जुलफीकार जाति मुसलमान उम्र व्यस्क निवासी ठुकराई
5/4 मु. शबाना पिता अब्दुल रजाक उर्फ जुलफीकार जाति मुसलमान उम्र व्यस्क निवासी ठुकराई
5/5 मो.शददीक पिता अब्दुल रजाक उर्फ जुलफीकार जाति मुसलमान उम्र व्यस्क निवासी ठुकराई
5/6 मु. शैनाज पिता अब्दुल रजाक उर्फ जुलफीकार जाति मुसलमान उम्र व्यस्क निवासी ठुकराई
5/7 मु.जहराबानू उर्फ बैना पति अब्दुल रजाक उर्फ जुलफीकार पिता जाति मुसलमान निवासी ठुकराई
6:— ताज मोहम्मद पिता गुलामरसुल जाति मुसलमान उम्र व्यस्क निवासी ठुकराई
7:— खुर्शीद पिता गुलामरसुल जाति मुसलमान उम्र व्यस्क निवासी ठुकराई
8:— ईशरार पिता गुलामरसुल जाति मुसलमान उम्र व्यस्क निवासी ठुकराई
9:— बसीर पिता गुलामरसुल जाति मुसलमान उम्र व्यस्क निवासी ठुकराई
10:— मु. छोटीबाई पत्नि गुलामरसुल जाति मुसलमान उम्र व्यस्क निवासी ठुकराई
11:— गोपाललाल पिता कन्हैयालाल जाति तेली उम्र व्यस्क निवासी ठुकराई तह. बेंगूँ
12:— मु. लाड पिता कन्हैयालाल जाति तेली उम्र व्यस्क निवासी ठुकराई तह. बेंगूँ
13:— मु.प्रेम पिता कन्हैयालाल जाति तेली उम्र व्यस्क निवासी ठुकराई, तह. बेंगूँ
14:— मु.सरजु पिता कन्हैयालाल जाति तेली उम्र व्यस्क निवासी ठुकराई, तह. बेंगूँ
15:— मु.केसरबाई पत्नि कन्हैयालाल जाति तेली उम्र व्यस्क निवासी ठुकराई , तह. बेंगूँ
16:— मु. प्यारी पिता कालु जाति तेली उम्र व्यस्क निवासी ठुकराई तह. बेंगूँ
17:— मु.पुष्पा पिता कालु जाति तेली उम्र व्यस्क निवासी ठुकराई तह. बेंगूँ
18:— मु.मांगीबाई पिता प्यारा जाति धाकड़ उम्र व्यस्क निवासी ठुकराई ,तह. बेंगूँ
19:— भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार बेंगूँ जिला चितौड़गढ़ (राज.)
20:— जिलाधीश महोदय,जिला चितौड़गढ़, जरिये प्रतिनिधी राजस्थान सरकार
.....................प्रतिवादीगण

उपस्थित :— श्री देवेन्द्रसिंह चुण्डावत
अधिवक्ता वादी
श्री इफ्तेखार अजमेरी
अधिवक्ता प्रति.6,7,8,9
श्री हरिश शर्मा
अधिवक्ता प्रति.11,से,15,17
श्री एस.के.बिल्लू
अधिवक्ता प्रति. 1,4

निर्णय दिनांक :— 22.12.2025

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 ,209 रा0 का0 अधि0

यह कि वादी एंव प्रतिवादीगण सं. 1 सं 9 के संयुक्त हक हिस्से व कब्जे का त की पुश्तैनी कृषि आराजीयात मौजा ठुकराई प.ह. ठुकराई तह. बेंगूँ में स्थित है ,जिसके वर्तमान खाता सं. 128 जिसके आराजी सं. 831 रकबा 06870 हैक. आ.नं. 832 रकबा 03240 हैक. तथा खाता सं. 615 जिसके आराजी सं. 834 रकबा 0.3400 हैक. ,और खाता सं. 125 जिसके आराजी सं. 833 रकबा 0.0160हैक आ.चा. है।

2:— यह कि उक्त विवादीत आराजीयात के पूर्व में सम्वत् 2011 से 2014 में आराजी नं. 1175 होकर रकबा 5 बीघा 8 था, जो सम्वत् 2022 में परिवर्तित होकर नये नम्बरो में तिन खातों में परिवर्तन होकर नये आराजी नं. 831 ,832 ,833, 834 बने । मिलान खसरे की नकल साथ पे । है।

3:—यह कि वादी के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है :—

चांद मोहम्मद

मुश्ताक अहमद — गुलामरसुल(फौत)

मुश्ताक अहमद: शफीमो.(फौत), वलीमो., जुलफीकार
शफीमो.(फौत): रजीया पुत्री, जमीला पुत्री, रसीदा पुत्री, बतुलबाई बेवा

गुलामरसुल(फौत): ताजमो. पुत्र, खुर्शीद पुत्र, ईसरार पुत्र, बसीर पुत्र, छोटीबाई बेवा

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

यह कि वादी के बाप –दादा की पुश्तैनी आराजीयात ग्रम ठुकराई में स्थित है जिसके वर्तमान खाता सं0 128, 615 व खाता सं0 125 है। उक्त आराजीयात का मौखिक रूप से बटवाडा चांद मोहम्मद जी ने अपने जीवन काल में कर दिया और और सभी को अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी के आधार पर बटवाड़ा कर मौके पर कब्जा सजरे अनुसार सभी भाईयों को सौंप दिया ।

यह कि सम्वत् 2011 सं 2014 की जमाबन्दी अनुसार खाता सं. 55 कि आराजी नं. 1175 रकवा 5 बीघा 8 बिस्वा जमीन वादी एंव प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पिता और प्रतिवादी सं. 4 के पति ,प्रतिवादी सं. 5 और प्रतिवादी सं. 6 से 9 के पिता और प्रतिवादी सं. 10 के पति के नाम पर सयुक्त रूप से दर्ज रेकार्ड थी लेकिन सहवन से पटवार हल्का पटवारी की गलती से बीना किसी आधार के उक्त आराजी में से वादी वली मो. एंव प्रतिवादी सं. 5 जुलफीकार का नाम हटा दिया गया,और दोनों का सम्पूर्ण हक का खाता प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पिता शफीमोहम्मद के नाम दर्ज कर दिया गया, जब कि वादी और प्रति. सं. 5 मुस्ताक अहमद के विधिक वारिसान होकर प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने से उक्त विवादित आरजीयात को वादी एंव प्रतिवादी सं. 5 अपने नाम पर खातेदारी हक में घोषित कराने का अधिकारी है।

यह कि सम्वत् 2027 से 2030 में इन्तकाल नं. 258 के अनुसार प्रतिवादी सं. 6 से 9 के पिता गुलाम रसुल द्वारा अपने हक को विक्रय कर देने से आ.नं. 1175 में प्रतिवादी सं. 16 और 17 के पिता कालु पिता हिरा तेली के नाम दर्ज हो जाने से प्रतिवादी सं. 3 का हक शेष नहीं होने से वर्तमान खाता सं. 615 की आराजी नं. 834 में प्रतिवादी सं. 6 से 10 का हक नहीं होने से उसका नाम हटाए जाने की घोषणा कराने का वादी अधिकारी है।

यह कि प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पिता और प्रतिवादी सं. 4 के पति शफी मोहम्मद ने अपने 1/3 हक हिस्से की सम्पूर्ण आराजीयात आराजी सं. 831 ,832 ,833 ,834 में से वादी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय कर देने से प्रतिवादी सं. 1 से 4 का हक हिस्सा अर्थात शफी मोहम्मद का हक हिस्सा वादी अपने नाम घोषित कराने का अधिकारी होने से विवादीत आराजीयात में से प्रतिवादी सं. 1 सं 4 का नाम हटाया जाकर उनके हक हिस्से की आराजी वादी के नाम घोषित कराने का अधिकारी है तथा मौके पर क्रय शुदा हक हिस्से पर क्रय दिनांक से वादी का कब्जा काश्त होकर निरन्तर बेरोकटोक काश्त करता चला आ रहा है। जिसको की वादी अपने नाम खातेदारी में घोषित कराने का अधिकारी हैं।

यह कि विवादीत आराजी में प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पिता और प्रतिवादी सं. 4 के पति शफी मोहम्मद का नाम गलती से दर्ज होने से तथा वादी के पढालिखा नहीं होने से खातो को दुरूस्त नहीं करा पाने से प्रतिवादी सं. 1 से 4 आए दिन वादी को जमीन विक्रय करने कि धमकीयॉ देता है और जबरन कब्जा करने का आमादा होने का प्रयास करने से तंग आकर दिनांक को 30.01.2019 को तहसील से रेकार्ड प्राप्त करने पर जानकारी में आने से वाद प्रस्तुत करने की नोबत आई।

प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निशेधाज्ञा से पांबद किया जाना आवश्यक है कि वह वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त की पुश्तैनी और प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पिता शफी मोहम्मद से क्रय की गई जमीन पर जिसके खाता सं. 128, 615, 125 की आराजी सं. 831, 832 ,833, 834 ,में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से दखलअन्दाजी नहीं करें न करावें न ही दौराने वाद विवादित आराजी का रहन ,बय बक्षीस इत्यादी करे न करावें और न ही राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का परिर्वतन ही करे न करावें वादी को विवादित आराजीयात का शांति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें।

यह कि शफी मोहम्मद की मृत्यु हो जाने से उसके विधिक वारिसान पुत्र संतान नहीं होने से प्रतिवादी सं. 1 से 3 उसकी पुत्रीयॉ व प्रतिवादी सं. 4 पत्नि को पक्षकार बनाया गया है। गुलाम रसुल की मृत्यु हो जाने से उसके विधिकि वारिसान चार पुत्र व पत्नि को प्रतिवादी सं. 6 से 10 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। तथा रूपा पिता प्यारा की मृत्यु हो जाने से और उसके लाऔलाद फौत हो जाने व पत्नि की भी मृत्यु हो जाने से प्यारा के विधिक वारिस उसकी एक मात्र पुत्री मांगीबाई को प्रतिवादी सं. 18 के रूप में पक्षकार बनाया गया है।

यह कि वाद कारण विवादित आराजी में वादी का नाम कट जाने से व प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पिता शफी मोहम्मद का नाम गलती से दर्ज होने से तथा वादी के पढालिखा नहीं होने से खातो को दुरूस्त नहीं करा पाने से प्रतिवादी सं. 1 से 4 द्वारा आए दिन वादी को जमीन विक्रय करने कि धमकीयॉ देता है और जबरन कब्जा करने का आमादा होने का प्रयास करने से तंग आकर दिनांक को 30.01.2019 को तहसील से रेकार्ड प्राप्त करने पर जानकारी में आने से पैदा होकर हर रोज वर्तमान है।

यह कि प्रतिवादी सं. 19, 20 वाद में आव यक पक्षकार भूमिधारी व प्रतिनिधी राजस्थान सरकार होन से पक्षकार बनाया गया है।

यह कि वाद वर्णित विवादित आराजियात तह. बेंगूॅ में स्थित होने व पक्षकार भी तह. बेगूॅ के स्थाई निवासी हाने के कारण वाद श्रीमान के क्षैत्राधिकार व श्रृवणाधिकार को होने से श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

अतः श्री मान से वादी निम्न अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी हैः–

कः– कि वाद वादी का स्वीकार फरमाया जाकर वाद वर्णित आराजी जिसके खाता सं0 128, 125, 615 की आराजी सं. 831, 832, 833, 834 में से प्रतिवादी सं0 1 से 3 के पिता और प्रति.सं.4 के पति शफी मोहम्मद व प्रतिवादी सं. 6 से 9 के पिता और प्रति.सं. 10 के पति गुलाम रसुल का नाम हटाया जाने की घोषणा की जावें तथा वादी का नाम बतौर खातेदार मुस्ताक अहमद का विधिक वारिस होने से 1/3 हक हिस्से में जोडे जाने की घोषणा की जावें।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूॅ (चित्तौड़गढ़)

ख प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पिता शफीमो.के 1/3 हक हिस्से को विक्रय पत्र के आधार पर वादी के नाम खातेदारी हक से दर्ज करने की घोषणा की जावे।
गः– कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पांवद किया जावे कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से दखअन्दाजी नहीं करें न करावें न ही दौराने वाद विवादित आराजी को रहन ,वय वक्षीस इत्यादी करे न करावें और न ही राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का परिर्वतन ही करे न करावें वादी को विवादीत आराजीयात का शांति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें।
घः– कि अन्य कोई अनुतोष जो बहक वादी हो व विरूद्ध प्रतिवादीगण हो प्रदान किया जावें।

वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री सुंधीर बिल्लू द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया जवकि प्रतिवादी संख्या 6,7,8,9 की ओर से अधिवक्ता श्री ईफ्तेखार अजमेरी ने अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया एवं प्रतिवादी संख्या 11 से 15 तक एवं 17 की ओर से अधिवक्ता श्री हरिशशर्मा ने अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रकरण में अधिवक्ता श्री बिल्लू द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि कृषि भूमि ढुकराई में स्थित होना स्वीकार है। यह कि सजरा गलत बनाया गया है। कलम संख्या 4 गलत होकर अस्वीकार हैं। यह कि जमीन प्रारम्भ से ही शफी मोहम्मद के नाम पर चली आ रही है। पटवारी हल्का ने कोई गलती नहीं की है। वादी का कोई हिस्सा विवादित आराजी में नहीं है। यह कि कलम संख्या 6 व 7 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। कब्जा काश्त हमारा है वादी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। यह कि कलम संख्या 8 व 9 गलत होकर अस्वीकार है। कलम संख्या 10 कानूनी है। कलम संख्या 11 अस्वीकार है तथा कलम संख्या 12,13,14 कानूनी है। यह कि कलम संख्या 15 गलत होकर अस्वीकार है गलत वादपत्र पेश किया है जिसे खारिज फरमाया जावें। पत्रावली में शेष प्रतिवादीगण एवं उनके अधिवक्ता को बार बार अवसर दिये जाने एवं कोस्ट पर अवसर दिये जाने पर भी जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया जाने पर न्यायालय द्वारा जवाब दावा अन्य प्रतिवादीगण का बंद किया गया। पत्रावली में निम्न तनकी पत्र पृथक से कायम किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया :–'

1– यह कि वादी के वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर वर्णित आराजी जिसके खाता संख्या 128, 125, 615 की आराजी संख्या 831, 832, 615 की आराजी संख्या 831, 832, 833, 834 मे से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता और प्रतिवसादी सं0 4 के पति शफी मोहम्मद व प्रतिवादी सं0 6 से 9 के पिता और प्रतिवादी सं0 10 के पति गुलाम रसूल का नाम हटाये जाने की घोषणा की जावे तथा वादी का नाम बतौर खातेदार मुश्ताक अहमद का विधिक वारिस होने से 1/3 हक हिस्से मे जोडे जाने की घोषणा की जावे? व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें ? वादी
2– यह हि जमीन प्रारम्भ से ही शफी मोहम्मद के नाम चली आ रही है पटवार हल्का ने कोई गलती नहीं की है वादी का कोई हक हिस्सा विवादित आराजी में नहीं है? प्रतिवादी
3– दादरसी ?

पत्रावली मे तनकी पत्र कायम किये जाने के पश्चात वादी की ओर से साक्ष्य वादी हेतु शपथ पत्र वादी वली मोहम्मद पिता मुश्ताक अहमद का व गुलाम मुस्तफा पिता वली अहमद का एवं गवाह नाथूलाल पिता भंवरलाल बलाई का पेश किया। वादी द्वारा मुख्य परीक्षण में दावा पत्रावली मे प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श कराया गया तथा अधिवाकता प्रतिवादी की जिरह निल रही एवं पुनः परीक्षण भी निल रहा है। इस प्रकार पत्रावली मे वादी की साक्ष्य पूर्ण होने पर एवं प्रतिवादीगण एवं उनके अधिवक्ता प्रकरण में उपस्थित नहीं होने एवं उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाने पर दावा पत्रावली में एक तरफा बहस अधिवक्ता वादी की ध्यानपूर्वक सुनी गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस वाद पत्र के अनुसार करते हुए निवेदन किया कि खाता संख्या 128, 615,125 में वली मोहम्मद जुल्फीकार का नाम काट दिए गए 2016 में सहवन से हटाये इसलिए घोषणा के लिए दावा लाये है। यह कि नामा0सं0 58 गुलम रसूल ने अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 16, 17 कालू पिता हिरा तेली को विक्रय कर दिया प्रतिवादी संख्या 3 का कोई हिस्सा नहीं है। शफी मोहम्मद –बिकाव वली मोहम्मद घोषणा से हिस्सा कम हो, वाद 88 घोषणा व 188 स्थाई निषेधाज्ञा के लिए किया गया है।

पत्रावली पर बहस अधिवक्ता वादी की सुने जाने के पश्चात पत्रावली मे प्रस्तुत सभी दस्तावेज का गहन अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। पत्रावली मे कायम तनकी पत्र अनुसार दस्तावेजी साक्ष्य का उल्लेख करते हुए निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

1– तनकी नम्बर 1 का निर्णय :–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी पर है। वादी द्वारा इस दावा पत्रावली मे जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है उनमे प्रदर्श– 1 नकल जमाबंदी मौजा ढुकराई की संम्वत 2027 से 30 की प्रस्तुत की है जो अपठित है इस जमाबंदी में नोट अंकित है कि आराजी संख्या 1175पर गुलाम रसूल के बजाय हिस्सा कालू पिता हिरा तेली के नाम दर्ज इ.नं. 258 से किया गया। प्रदर्श– 2 नकल जमाबंदी मौजा ढुकराई की सवत 2013 से 2016 तकी पेश की है जिसमें आराजी संख्या 1175 रकबा 5बीघा 8 बिस्वा भूमि के खातेदार श्री शफी मोहम्मद पिता मुस्ताक अहमद गुलाम रसूल पिता चॉद मोहम्मद मुसलमान का नाम दर्ज खातेदार है। प्रदर्श– 3 नकल जमाबंदी मौजा ढुकराई की है जिसमें दर्ज आराजी संख्या 1175 रकबा 5बीघा 8 बिस्वा के खातेदार शफीमोहम्मद वलीमोहम्म्द जुल्फकार अहमद पिता मुस्ताक अहमद ना0बा0 सरपरस्त गुलाम रसूल चाचा खुद व गुलाम रसूल पिता चॉदमोहम्मद का नाम दर्ज है। इसी प्रकार प्रदर्श– 4 नकल जमाबदी सं. 2016 में आराजी संख्या 1175 रकबा 5बीघा 8बिस्वा में शफीमोहम्मद पिता मुस्ताक अहमद व गुलाम रसूल

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

द मौहम्मद का नाम दर्ज है। इस प्रकार प्रदर्श–5 नकल जमावंदी मौजा ठुकराई की संवत 2009 में आराजी संख्या 1175 रकबा 8बीघा 5बिस्वा पर भी शफीमोहम्मद वलीमोहम्द जुल्फकार अहमद पिता मुस्ताक अहमद ना0ब0 सरपररत गुलाम रसूल चाचा खुद व गुलाम रसूल पिता चॉदमोहम्मद का नाम दर्ज है।

प्रदर्श–6 नकल भूप्रबंध (सेटलमेन्ट) विभाग की नकल है जिसमें गत आराजी संख्या 1175 नवीन आराजी संख्या 833 व 834 बने है। नवीन आराजी संख्या 834 में कॉलम संख्या 23 व 24 भूप्रवन्ध के नाम कृषक व वर्तमान नाम कृषक में कालू पिता हिरा कोम तेली रूपा पिता पियारा तेली शफीमोहम्मद पिता मुस्ताक अहमद गुलाम रसूल पिता चांद मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है इसी प्रकार आराजी संख्या 834 के लिए सफी मोहम्मद पिता मुस्ताक अहमद व गुलाम रसूल पिता चांद मोहम्मद का नाम लिखा गया है। प्रदर्श–7 नकल नामान्तरण संख्या 258 की प्रति है जिसमें गुलाम रसूल द्वारा अपना हिस्सा कालू तेली को विकय किया जाने का अंकन किया हुआ है।

प्रदर्श–8 जो कि नकल जमाबंदी मौजा ठुकराई की सम्वत 2072 से 75 तक की है में दर्ज आराजी संख्या 831 व 832 कुल कीता–2 कुल रकबा 1.0110 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री गोपाललाल लाड प्रेम सुरज पिता कन्हैयालाल केशरबाई पत्नी कन्हैयालाल तेली हि.1/2 शफी मोहम्मद पिता मुस्ताक अहमद हि. 1/3 वली मोहम्मद पिता मुस्ताक अहमद हि. 1/6 जाति शेख मुसलमान सा.देह खातेदार अंकित है तथा जमाबंदी में नोट अंकित किया हुआ है कि नामा0सं0 2653 दिनांक 24.10.2018 से जरिये विकय शफी मोहम्मद पिता मुस्ताक अहमद 1/3 के बजाय अब्दुल रज्जाक पिता मुस्ताक 1/6 शफी मोहमम्द पिता मुस्ताक अहमद 1/6 बाकी बदस्तूर जमाबंदी अंकन किया हुआ है।

प्रदर्श–9 नकल जमाबंदी मौजा ठुकराई संवत 2072 से 75 में दर्ज आराजी संख्या 833 रकबा 0.0160 हैक्टर में खातेदार श्री गोपाललाल लाड प्रेम सरजू पिता कन्हैयालाल केसरबाई पत्नि कन्हैयालाल हि. 1/12 प्यारी पुष्पा पिता कालु जाति तेली हि. 1/6 रूपा पिता प्यारा धाकड हि. 1/4 शफी मोहम्मद पिता मुस्ताक अहमद हि. 1/6 वली मोहम्मद पिता मुस्ताक अहमद हि. 1/12 गुंलाम रसूल पिता चांद मोहम्मद हि. 1/4 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार दर्ज है। प्रदर्श–10 नकल जमाबंदी मौजा ठुकराई में दर्ज आराजी संख्या 834 रकबा 0.3400 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री शफी मोहम्मद पिता मुस्ताक अहमद 1/3 वली मोहम्मद पिता मुस्ताक अहमद 1/6 गुंलाम रसुल पिता चांद मोहम्मद 1/2 दर्ज अंकित है। पत्रावली में प्रदर्श–11 ए पंजीकृत विकय विलेख जो कि शफीमोहम्मद द्वारा वली मोहम्मद के पक्ष में निष्पादित किया है जो कि दिनांक 23.4.2010 को विकय किया गया है। विकय पत्र में विकेता प्रथम पक्ष द्वारा मौजा ठुकराई की आराजी संख्या 831, 832 व 834 कीता– 3 कुल रकबा 1.351 हैक्टर भूमि का हिस्सा 1/6 जो रकबा 0.225 हैक्टर भूमि बनती है को विकय करना निश्चिय कर विकय केता ने स्वीकार किया है उक्त विकय राशि 1 लाख के बिलएवज कीमत प्रतिफल उक्त वर्णित हिस्सा आरजी मुझ प्रथम पक्ष ने अपने स्वामित्व आधिपत्य एवं कब्जे से निकाल कर आप केता के स्वामित्व आधिपत्य एवं कब्जे सिपुर्द कर दी है। विकय हिस्सा आराजी के साथ आराजी संख्या 833 गै0मु0 चाह का हिस्सा 1/12 भी आपको विकय किया गया है। उक्त विकय पत्र पंजीकृत होकर प्रस्तुत किया है।

विकय पत्र के अवलोकन से पाया जाता है कि वादी द्वारा शफी मोहम्मद का हिस्सा आराजी संख्या 831, 832 कीता–2 रकबा 1.0110 हैक्टर में से हिस्सा 1/6 खरीद किया है, खाते में शफीमोहम्मद का कुल हिस्सा 1/3 था जिसमें उन्होने 1/6 हिस्स अब्दुलरज्जाक को विकय कर दिया जाने से शफी मोहम्मद का हिस्सा 1/6 बचा जो कि वादी ने खरीद किया है, लेकिन आराजी संख्या 834 रकबा 0.3400 हैक्टर में शफी मोहम्मद हिस्सा 1/3 मे से हिस्स 1/6 खरीद किया जाने का अंकन विकय पत्र में है जबकि इस खाते में भी शफी मोहम्मद का हिस्सा 1/3 है यदि 1/6 हिस्सा वादी के नाम दर्ज कर दिया जाता है तो भी शफी मोहम्मद का हिस्सा 1/6 शेष रहता है इस प्रकार वादी का कथन है कि खाते से शफी मोहम्मद का नाम हटाया जावें जो कि विकय पत्र के अनुसार शफीमोहम्मद का हिस्सा रहने से नाम हटाया जाना नियम विरूद्ध है।साथ ही वर्णित कृषि भूमि का विधिवत विभाजन नहीं होने से सहखातेदारो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायसंगत नहीं होता है। इस प्रकार वादी तनकी नं0 1 को दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सिद्ध करा पाने में सफल नहीं हुए है। अतः तनकी नम्बर 1 विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

2– तनकी नम्बर 2 का निर्णय :–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण का है, प्रकरण मे प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा तो प्रस्तुत किया गया है किन्तु कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रतिवादीगण द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया है, ना ही प्रतिवादीगण व उनके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आए जिससे उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये है। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा अपने पक्ष की तनकी को सिद्ध कराने में पूर्णतया असफलता प्राप्त की है। इस प्रकार तनकी नम्बर 2 विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

दावा पत्रावली में कायम की गई तनकी में प्रथम तनकी जो कि वादी को सिद्ध करानी थी वे दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर वादी सिद्ध नहीं करा पाये है, जिससे वादी का वादपत्र अस्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान कातश्कारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं होने के कारण वादी का वाद पत्र खारिज किया जाता है।

अंतिम निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलेक्टर

मूलवाद में अंतिम डिकी
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा पत्र संख्या :– 35/2019

वली मोहम्मद पिता मुस्ताक अहमद जाति मुसलमान उम्र 78 वर्श निवासी ठुकराई, तह. बेंगूँ जिला चितौड़गढ़ (राज.) .....वादी

बनाम

1:– मु. रजीयॉ पुत्री भाफीमोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 50 वर्श निवासी ठुकराई
2:– मु. जमीला पुत्री भाफी मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 40 वर्श निवासी ठुकराई
3:– मु.रसीदा पुत्री भाफी मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 34 वर्श निवासी ठुकराई
4:– मु. बतुलबाई पत्नि भाुफी मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र व्यस्क निवासी ठुकराई
5/1 मो. सैजाद पिता अब्दुल रजाक उर्फ जुलफीकार जाति मुसलमान उम्र व्यस्क निवासी ठुकराई
5/2 मु. मेरून पिता अब्दुल रजाक उर्फ जुलफीकार जाति मुसलमान उम्र व्यस्क निवासी ठुकराई
5/3 मु. शकीला पिता अब्दुल रजाक उर्फ जुलफीकार जाति मुसलमान उम्र व्यस्क निवासी ठुकराई
5/4 मु. शबाना पिता अब्दुल रजाक उर्फ जुलफीकार जाति मुसलमान उम्र व्यस्क निवासी ठुकराई
5/5 मो.शद्दीक पिता अब्दुल रजाक उर्फ जुलफीकार जाति मुसलमान उम्र व्यस्क निवासी ठुकराई
5/6 मु. शैनाज पिता अब्दुल रजाक उर्फ जुलफीकार जाति मुसलमान उम्र व्यस्क निवासी ठुकराई
5/7 मु.जहराबानू उर्फ बैना पति अब्दुल रजाक उर्फ जुलफीकार पिता जाति मुसलमान निवासी ठुकराई
6:– ताज मोहम्मद पिता गुलामरसुल जाति मुसलमान उम्र व्यस्क निवासी ठुकराई
7:– खुर्शीद पिता गुलामरसुल जाति मुसलमान उम्र व्यस्क निवासी ठुकराई
8:– ईशरार पिता गुलामरसुल जाति मुसलमान उम्र व्यस्क निवासी ठुकराई
9:– बसीर पिता गुलामरसुल जाति मुसलमान उम्र व्यस्क निवासी ठुकराई
10:– मु. छोटीबाई पत्नि गुलामरसुल जाति मुसलमान उम्र व्यस्क निवासी ठुकराई
11:– गोपाललाल पिता कन्हैयालाल जाति तेली उम्र व्यस्क निवासी ठुकराई तह. बेंगूँ
12:– मु. लाड पिता कन्हैयालाल जाति तेली उम्र व्यस्क निवासी ठुकराई तह. बेंगूँ
13:– मु.प्रेम पिता कन्हैयालाल जाति तेली उम्र व्यस्क निवासी ठुकराई, तह. बेंगूँ
14:– मु.सरजु पिता कन्हैयालाल जाति तेली उम्र व्यस्क निवासी ठुकराई, तह. बेंगूँ
15:– मु.केसरबाई पत्नि कन्हैयालाल जाति तेली उम्र व्यस्क निवासी ठुकराई , तह. बेंगूँ
16:– मु. प्यारी पिता कालु जाति तेली उम्र व्यस्क निवासी ठुकराई तह. बेंगूँ
17:– मु.पुष्पा पिता कालु जाति तेली उम्र व्यस्क निवासी ठुकराई तह. बेंगूँ
18:– मु.मांगीबाई पिता प्यारा जाति धाकड़ उम्र व्यस्क निवासी ठुकराई ,तह. बेंगूँ
19:– भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार बेंगूँ जिला चितौड़गढ़ (राज.)
20:– जिलाधीश महोदय,जिला चितौड़गढ़, जरिये प्रतिनिधी राजस्थान सरकार

.....प्रतिवादीगण

निर्णय अंतिम डिकी वाद पत्र अ0धा0 53–88 राज0काश्त0अधि0

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्रसिंह चुण्डावत एवं में तथा प्रतिवादी अधिवक्ता श्री ....की अनुपस्थिती में वाद अ.धा. 88–188 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 22.12.2025 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष प्राथमिक निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 आर.टी.एक्ट का खारिज किया जाकर निम्नानुसार अंकित डिकी किया जाता है:–

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान कातश्कारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं होने के कारण वादी का वाद पत्र खारिज किया जाता है।

यह अंतिम डिकी आज दिनांक 22.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ